(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 50/2022 विविध
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांकः– 28.06.2024

1. केसरा पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2. राजाराम पुत्र बैधनाथ जाति जाट निवासी ग्राम नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
3. रामदयाल पुत्र बैधनाथ जाति जाट निवासी ग्राम नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
4. रामेश्वर पुत्र गेन्दा जाति जाट निवासी ग्राम नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
5. सुरजकरण पुत्र बैधनाथ जाति जाट निवासी ग्राम नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ग्राम नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2. तुलसीराम पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ग्राम नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
3. रामनिवास पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ग्राम नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
4. हरिनारायण पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ग्राम नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
5. धन्ना पुत्र चंद्रा जाति बैरवा निवासी ग्राम नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
6. बजरंग पुत्र चंद्रा जाति बैरवा निवासी ग्राम नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान ।
7. बद्री पुत्र चंद्रा जाति बैरवा निवासी ग्राम नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान ।
8. मंगला पुत्र चंद्रा जाति बैरवा निवासी ग्राम नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
9. हजारी पुत्र चन्द्रा जाति बैरवा निवासी ग्राम, नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान
10. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

लगातार................2

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांकः–28.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि खतौनी संख्या 68 के आराजी खसरा नम्बर 276 रकबा 1.4036 हैक्टेयर खतौनी संख्या 89 के आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 1.3910 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नथमलपुरा पटवार हल्का हथेली भू०अभि०नि०क्षेत्र फागी तहसील फागी में स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार है। पडौसी खातेदारों द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में जब विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थीगण ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से दिनांक 08.05.2022 को श्रीमान तहसीलदार महोदय फागी के सीमाज्ञान आदेश क्रमांक एल.आर/2022/1368 दिनांक 19.04.2022 की पालना में मौके पर पर पहुँचा। मौके पर उपस्थित खातेदार व अन्य ग्रामीणों के समक्ष उक्त खसरा नम्बरान 276 व 275 का सीमाज्ञान प्रारम्भ किया गया। मौक थर मुस्तकिल बिन्दू ग्राम हथेली, नथमलपुरा, परवण की सीमा पर स्थित तिगडे से जरीब चलाकर ख0न0 276 के दक्षिण पूर्वी कोने पर पहुँचे, जिसे आगे बढाते हुये ख०न० 276 की दक्षिण पश्चिमी कोने पर पहुँच निशान कायम किये गये। उक्त दोनों कोनों से तरफ उत्तर जरीब चलाकर ख०न० 276 व 275 के विभिन्न कोनों पर निशान कायम कर उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान पूर्ण किया गया। पडौसी खातेदार नहीं चाहते कि विवाद सामप्त हो और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में शान्ति पूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते क्योकि राजस्व नक्शा लट्ठा में तरमीम नही होने से पडौसी खातेदार जबरन प्रार्थीगण की आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है जिसका पडौसी खातेदारों को कोई विधिक अधिकार नही है इसके बावजूद पडौसी खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है क्योकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नहीं हो रखी है। सीमाज्ञान दिनांक 08.05.2022 को सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को पडौसी खातेदारान नहीं मानते तथा प्रार्थीगण से आये दिन लडाई झगडा मेरे कोर को लेकर करते है तथा पत्थरगढी नहीं होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थीगण का यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। सीमाज्ञान दिनांक 08.05.2022 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार यदि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

लगातार........3

दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 बाद तामिल हाजिर अदालत नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस एकतरफा सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराज़ी वाके ग्राम नथमलपुरा में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2073—2076 वाके ग्राम नथमलपुरा के खाता संख्या के 68 व 89 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 मे अंकित किया है कि पूर्व मे दिनांक 08.05.2022 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान होने के पश्चात भी पडौसी काश्तकार आपस मे सीमाओं को लेकर विवाद करते है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारों से विवाद होना बताया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पडौसी खातेदारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढे एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐं रखने हेतु न्यायालय सभी पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 68 के खसरा नंबर 276 रकबा 1.4036 हैक्टेयर व खाता संख्या 89 के आराजी खसरा नंबर 275 रकबा 1.3910 हैक्टेयर वाके ग्राम नथमलपुरा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का सभी पडोसी खातेदारान को नोटिस जारी कर समस्त पडोसी खातेदारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान करते हुए नियमानुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.20244 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/24

राकेश कुमार II
उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला दूदू